न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 20 / 2023

1 अनिल कुमार पुत्र पृथ्वी सिंह जाति जाट निवासी श्योपुरा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 मनोज पुत्र पृथ्वी सिंह
2 रामदेवी पत्नी पृथ्वी सिंह
3 प्रेमलता पुत्री पृथ्वी सिंह
4 सुमित्रा पुत्री पृथ्वी सिंह जातिगण जाट निवासी श्योपुरा तहसील मण्डवा जिला झुन्झुनूं राज.।
5 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं राज.।
6 राजस्थान सरकार (भूअधिकारी) जरिये तहसीलदार मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं राज.।
7 उप पंजीयक कार्यालय मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 काश्तकारी अधिनियम 1955
अपील बखिलाफ प्रारम्भिक निर्णय दिनांक 15.12.2022
मुकदमा उनवानी अनिल बनाम मनोज वगै. मु.नं. नया 370 / 2022 (पुराना 254 / 2021) दावा बाबत घोषणार्थ बंटवारा स्थाई निषेधाज्ञा बअदालत उपखण्ड अधिकारी मण्डावा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री मो. रफीक, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विक्रम ओला, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 27/4/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावा द्वारा मुकदमा नम्बर 370/2022 में पारित निर्णय दिनांक 15.12.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक वाद घोषणा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 223/76, 324/76, 322/208, 321/208 वाके ग्राम श्योपुरा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत कि गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय कि किसी भी आदेशिका में रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी पेश होने का अंकन नहीं है। विचारण न्यायालय ने वादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का जवाब पेश किया गया है। दिनांक 08.09.2022 को वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी जवाब पेश किया गया था लेकिन विचारण न्यायालय ने वादी अधिवक्ता को पत्रावली में तारीख पेशी 22.09.2022 नोट करवा दी थी इसके पश्चात विचारण न्यायालय के पीठाशीन अधिकारी ने बिना बहस सुने ही प्रार्थना पत्र का निस्तारण कर स्वीकार कर लिया। विधि के अनुसार अदालतों को किसी भी प्रार्थना पत्र पर आदेश दिया जाना है तो अदालतों को विस्तृत रूप से प्रार्थना पत्र में उल्लेखित समग्र तथ्यों को विचारीत करते हुए प्रार्थना पत्र

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

के पक्षकारों की समुचित बहस का भी आदेश में उल्लेख कर आदेश पारित करना चाहिए तथा प्रत्येक प्रार्थना पत्र के आदेश को विस्तृत रूप से अंकन करवाना चाहिए जिसमें पक्षकारों के नाम पते अंकित हो। दिनांक 22.09.2022 को पत्रावली वास्ते संशोधित उनवान पेश होना था लेकिन विचारण न्यायालय के समक्ष संशोधित उनवानी पेश नहीं हुआ फिर भी विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने 15.12.2022 को बगैर साक्ष्य लिये ही प्राथमिक निर्णय जारी कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 15.12.2022 को केवल मात्र निर्णय ही जारी किया गया है निर्णय के साथ प्रथम डिक्री जारी नहीं की गई है। विचारण न्यायालय के वाद पत्र में तनकी कायम नहीं की है तथा ना ही वाद पत्र में साक्ष्य सबूत लिखे गये है। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 1 जमाबंदी 2074 से 2077 पेश किया है जबकि जब तक वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को साबित करने के लिये साक्षी के साक्ष्य का शपथ पत्र न्यायालय में पेश नहीं होता है तब तक वाद पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य का शपथ पत्र पेश नहीं किया गया ना ही वादी द्वारा दस्तावेजों को प्रदर्शित किया गया विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के अपने निर्णय में दस्तावेज प्रदर्श 1 अंकित किया है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में कोई दस्तावेज प्रदर्शित नहीं है। विचारण न्यायालय की पीठासीन अधिकारी ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित जाकर निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के सिविल रूल्स में निर्णय किस प्रकार लिखा जायेगा सिविल रूल्स में बताया गया है कि उसका अनुसरण नहीं किया गया पिठासीन अधिकारी को किसी प्रकार से निर्णय करना चाहिए इस प्रकार विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने सिविल व रेवेन्यू रूल्स की पालना नहीं करके विधिक त्रुटि की है। इस लिये विचारण न्यायालय का निर्णय जैर बहस प्रथम दृष्टया खारिज होने योग्य है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि विरूद्ध है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वाद अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय ने विधिक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

प्रक्रिया की पालना कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वादी द्वारा चाहे गये अनुतोष के अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। इस डिक्री से अपीलांट के हित किस प्रकार प्रभावित हो रहे है। इसका कोई अंकन अपीलांट द्वारा नहीं किया गया है। अपीलांट ने केवल प्रक्रियात्मक त्रुटियों का अंकन किया है। विचारण न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में आदेश 01 नियम 10 का आवेदन स्वीकार किये जाने के उपरांत पत्रावली संसोधित उनवान में नियत चल रही थी। विचारण न्यायालय की आदेशिका के अनुसार दिनांक 15.12.2022 को प्रतिवादी संख्या 1, 2, 6, 7 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अंकन है। विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया अनुसार जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय पारित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि विधिक प्रकिया की पालना कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.03.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 27/2/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर